रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, शनिवार, मई 10, 2008/वैशाख 20, 1930
No. 262] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10, 2008/VAISAKHA 20, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2008

सा.का.नि. 358(अ).— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि कार्य विभाग में सेवा काडर का अविलयन करने और उस सेवा के भीतर 3 विभिन्न काडर सृजित करने के लिए भारतीय विधि सेवा नियम 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विधि सेवा (संशोधन) नियम , 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय विधि सेवा नियम , 1957 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थातः-

"6 ड्यूटी पदों का भरा जाना ।-(1) श्रेणी 1 या श्रेणी 2 में ड्यूटी पद विधि सलाहकारों के सेवा काडर की श्रेणी 2 के ड्यूटी पद और सरकारी अधिवक्ताओं के सेवा काडर के श्रेणी 2 के पदों को छोड़कर ठीक अगली नीचे की श्रेणी मे सेवा के किसी सदस्य की प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। विधि सलाहकारों के सेवा काडर की श्रेणी 2 के ड्यूटी पद (अपर विधि सलाहाकार) 90 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। सरकारी अधिवक्ताओं के सेवा काडर की श्रेणी 2 के ड्यूटी पद (अपर सरकारी अधिवक्ता) 33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 66.67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

(2) सेवा की श्रेणी 3 में ड्यूटी पद अनुकल्पिक रूप में सीधी भर्ती द्वारा और सेवा के श्रेणी 4 में किसी सदस्य की प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(3) सेवा की श्रेणी 4 में कोई ड्यूटी पद, विधि सलाहकार के सेवा काडर की श्रेणी 4, सरकारी अधिवक्ताओं के सेवा काडर में श्रेणी 4 और भारत के विधि आयोग में विधि अधिकारियों के सेवा काडर की श्रेणी 4 को छोड़कर ड्यूटी पद ऐसे व्यक्तियों की प्रोन्नति द्वारा जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई पद धारण कर रहे हैं और सीधी भर्ती द्वारा 1: 1 के अनुपात में (अर्थात 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा) भरे जायेंगे । विधि सलाहकारों के सेवा काडर की श्रेणी 4 में कोई ड्यूटी पद ऐसे व्यक्तियों की

प्रोन्नति द्वारा, जो विधि सलाहकारों के सेवा काडर के अधीन तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई पद धारण किये हुए हैं, प्रोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा 1: 1 के अनुपात में (अर्थात 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा) भरे जायेंगे । भारतीय विधि सेवा के सरकारी अधिवक्ताओं के सेवा काडर की श्रेणी 4 में कोई ड्यूटी पद ऐसे व्यक्तियों की प्रोन्नति द्वारा, जो सरकारी अधिवक्ताओं के सेवा काडर के अधीन तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई पद धारण किये हुए हैं, प्रोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा 1: 1 के अनुपात में (अर्थात 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा) भरे जायेंगे । ऐसे अधिकारी जो सरकारी अधिवक्ताओं के सेवा काडर के अधीन तीसरी अनुसूची में पद धारण कर रहे हैं, वे प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे यदि वे समय-समय पर यथासंशोधित उच्चतम न्यायालय नियम , 1950 के अधीन उच्चतम न्यायालय में किसी अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिये और उक्त नियमों के अधीन उस न्यायालय के अभिलेख-अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र हैं । भारत के विधि अयोग में विधि अधिकारियों के सेवा संवग की श्रेणी 4 में ड्यूटी पद ऐसे व्यक्तियों से जो विधि अधिकारियों के सेवा काडर के अधीन तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद धारण कर रहे हैं 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और 40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

3. मूल नियमों के नियम 6क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थातः-

"6क. प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा ड्यूटी पदों का भरा जानाः-

विभिन्न श्रेणियों में प्रतिनियुक्ति / आमेलन के लिए चयन का क्षेत्र निम्नानुसार होगाः

अपर विधि सलाहकार (14,300-18,300 रुपये)

प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारीः

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 12,000-16,500 रुपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की है ; या

(ख) जिनके पास नियम 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षित अर्हताएं और अनुभव है।

अपर सरकारी अधिवक्ता (14,300-18,300 रुपये)

प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारीः

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 12,000-16,500 रुपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की है ; या

(ख) जिनके पास नियम 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है और जो समय-समय पर यथासंशोधित उच्चतम न्यायालय नियम , 1950 के अधीन उच्चतम न्यायालय में किसी अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिये और उक्त नियमों के अधीन उस न्यायालय के अभिलेख-अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र हैं ।

भारतीय विधि आयोग के विधि अधिकारियों के सेवा काडर की श्रेणी 4 (10,000-15,200 रुपये)

प्रतिनियुक्ति/आमेलन

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारीः

(क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8,000-13,500 रुपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की है; या

(iii) जिनकी मूल काडर/विभाग में 7500-12,000 रुपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जिनके पास नियम 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी , जो विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। जैसा केन्द्रीय सरकार ठीक समझे"।

4. मूल नियमो के नियम 7 के उप-नियम (1क) में , खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात;

"(i) कोई व्यक्ति (जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य या विधि व्यवसायी नहीं है) विधि सलाह कार्य में अनुभव सहित यदि ऐसा पद विधि कार्य विभाग में विधि सलाहकार सेवा में है, अनुसंधान कार्य ऐसा पद विधि कार्य विभाग में विधि अधिकारी सेवा में है और मुकदमा कार्य का अनुभव यदि ऐसा पद विधि कार्य विभाग की सरकारी अधिवक्ता सेवा काडर में है। इसके अतिरिक्त विधि कार्य विभाग में सरकारी अधिवक्ता सेवा काडर में किसी ड्यूटी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करते समय अभ्यर्थी समय-समय पर यथासंशोधित उच्चतम न्यायालय नियम , 1950 के अधीन उच्चतम न्यायालय में किसी अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिये और उक्त नियमों के अधीन उस न्यायालय के अभिलेख-अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होना चाहिए" ।

5. मूल नियमो के नियम 8 के उप-नियम 1 में, खण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगाः-

"(iv) श्रेणी 4 में किसी ड्यूटी पद के लिए जब तक, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से एक या अधिक पद धारण न कर रहा हो और उसकी 7500-12,000 रुपये के वेतन वाले पदों में नियमित 6 वर्ष की सेवा और 7450-11,500 रुपये के वेतन वाले पदों में नियमित 7 वर्ष की सेवा और 6500-10,500 रुपये के वेतनमान वाले पदों में 8 वर्ष की सेवा हो । इसके अतिरिक्त विधि कार्य विभाग में सरकारी अधिवक्ता सेवा काडर में श्रेणी 4 मे किसी ड्यूटी पद पर प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थी समय-समय पर यथासंशोधित उच्चतम न्यायालय नियम , 1950 के अधीन उच्चतम न्यायालय में किसी अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिये और उक्त नियमों के अधीन उस न्यायालय के अभिलेख-अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होना चाहिए" ।

6 . मूल नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः-

" 11.ज्येष्ठताः- (1) सेवा के सदस्यों की एक सूची उनकी ज्येष्ठता के क्रम में इन नियमों की 'पहली अनुसूची' में उपदर्शित के अनुसार पृथक रूप से विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग में तीनों संवर्गों में से प्रत्येक के लिए पृथक रूप से रखी जाएगी ।

(2) प्रत्येक विभाग में सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता समय-समय पर इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

टिप्पणः-

विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग में 16,400-20,000 रुपये के वेतनमान में सरकारी अधिवक्ता का एकल पद 1 दिसम्बर 2007 से 16,400-20,000 रुपये के वेतनमान से 14,300-18,300 रुपये के वेतनमान में अवनत किया गया है "।

7. , मूल नियमों में ' पहली अनुसूची' और 'तीसरी अनुसूची' के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित पहली और दूसरी अनुसूची रखी जाएंगी, अर्थातः-

पहली अनुसूची

(देखें नियम 2(ग), 3(2), 12 और 14)

भारतीय विधि सेवा

(कुल संख्या :146)

संरचना

विधि कार्य विभाग

	मुख्य सचिवालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा बंगलौर स्थित शाखा सचिवालयों में विधि सलाहकारों का भारतीय विधि सेवा काडर			भारत का विधि आयोग में विधि अधिकारियों का भारतीय विधि सेवा काडर			केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग और मुम्बई और कोलकाता शाखा सचिवालयों में सरकारी अधिवक्ताओं तथा केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग का भारतीय विधि सेवा काडर		
श्रेणी	पदाभिधान	स्थायी	अस्थायी	पदाभिधान	स्थायी	अस्थायी	पदाभिधान	स्थायी	अस्थायी
I	संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार	13	शून्य	संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी	शून्य	1	ज्येष्ठ सरकारी अधिवक्ता	3	शून्य
II	अपर विधि सलाहकार	19	शून्य	अपर विधि अधिकारी	शून्य	2	अपर सरकारी अधिवक्ता	8**	1
III	उप विधि सलाहकार	16	शून्य	उप विधि अधिकारी	शून्य	3	उप सरकारी अधिवक्ता	3	शून्य
IV	सहायक विधि सलाहकार	36	शून्य	सहायक विधि अधिकारी	5	शून्य	सहायक सरकारी अधिवक्ता	4	शून्य

केन्द्रीय सरकार ने मूल नियमों के नियम 14 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 27 सितम्बर, 2007 के अपने आदेश संख्या 81 द्वारा विधि कार्य विभाग में सेवा में सरकारी कांउसेलों का अविलयन कर दिया है और उस विभाग में ड्यूटी पदों के साथ मिलकर बनने वाले तीन विभिन्न काडरों का निम्नानुसार सृजन किया है :--

मुख्य और शाखा सचिवालयों में विधिक सलाहकार सेवा काडर :--

ड्यूटी पद का नाम	ग्रेड	वेतनमान
संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार	श्रेणी I	18,400-22,400/-रुपए
अपर विधि सलाहकार	श्रेणी II	14,300-18,300 /-रुपए
उप विधि सलाहकार	श्रेणी III	12,000-16,500 /-रुपए
सहायक विधि सलाहकार	श्रेणी IV	10,000-15,200 /-रुपए

भारत का विधि आयोग में विधि अधिकारी सेवा काडर :--

ड्यूटी पद का नाम	ग्रेड	वेतनमान
संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी	श्रेणी I	18,400-22,400/-रुपए
अपर विधि अधिकारी	श्रेणी II	14,300-18,300 /-रुपए
उप विधि अधिकारी	श्रेणी III	12,000-16,500 /-रुपए
सहायक विधि अधिकारी	श्रेणी IV	10,000-15,200 /-रुपए

केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग और मुम्बई और कोलकाता शाखा सचिवालयों में सरकारी अधिवक्ता सेवा काडर :--

ड्यूटी पद का नाम	ग्रेड	वेतनमान
ज्येष्ठ सरकारी अधिवक्ता	श्रेणी I	18,400-22,400/-रुपए
अपर सरकारी अधिवक्ता	श्रेणी II	14,300-18,300 /-रुपए
उप सरकारी अधिवक्ता	श्रेणी III	12,000-16,500 /-रुपए
सहायक सरकारी अधिवक्ता	श्रेणी IV	10,000-15,200 /-रुपए

विधायी विभाग

ग्रेड	पदाभिधान	स्थायी	अस्थायी
I	संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी	5	1
II	अपर विधायी परामर्शी	4	शून्य
III	उप विधायी परामर्शी	9	शून्य
IV	सहायक विधायी परामर्शी	13	शून्य

विधि और न्याय मंत्रालय में भारतीय विधि सेवा के काडर की कुल संख्या

श्रेणी	स्थायी	अस्थायी
I	21	2
II	31	3
III	28	3
IV	58	शून्य

** विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग में 16,400-20,000 रूपए के वेतनमान में सरकारी अधिवक्ता के पद को अवनत करके 1 दिसम्बर, 2007 से 14,300-18,300 /-रुपए के वेतनमान में कर दिया गया है ।

तीसरी अनुसूची

(देखें नियम 6(3) और 8(1) (iv))

भारतीय विधिक सेवा

विधि और न्याय मंत्रालय में पद

विधि कार्य विभाग

सेवा के विधिक सलाहकार काडर का फीडर पद	सेवा के विधि अधिकारी काडर का फीडर पद	सेवा के सरकारी अधिवक्ता काडर का फीडर पद
1. अधीक्षक (विधिक) 2. पुस्तकालयाध्यक्ष (ग्रेड 1)	भारत का विधि आयोग में अधीक्षक (विधिक)	कनिष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता

विधायी विभाग

विधायी विभाग में अधीक्षक (विधि) और गोपनीय अधीक्षक ।

टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 3084-क. (सी. एल. एस. आर.), दिनांक 25 सितम्बर, 1957 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए ।

(i) सा.का.नि. 1608 तारीख 28-9-1963;

(ii) सा.का.नि. 1416 तारीख 27-7-1968;

(iii) सा.का.नि. 1423 तारीख 27-7-1968;

(iv) सा.का.नि. 1050 तारीख 3-5-1969;

(v) सा.का.नि. 1981 तारीख 23-8-1969;

(vi) सा.का.नि. 1900 तारीख 21-11-1980;

(vii) सा.का.नि. 2 तारीख 6-1-1979;

(viii) सा.का.नि. 72 तारीख 20-1-1979;

(ix) सा.का.नि. 658 तारीख 12-5-1979;

(x) सा.का.नि. 270(अ), तारीख 29-3-1982;

(xi) सा.का.नि. 668 तारीख 17-9-1983;

(xii) सा.का.नि. 1161(अ), तारीख 22-10-1986

(xiii) सा.का.नि. 658 तारीख 29-6-1987;

(xiv) सा.का.नि. 872 तारीख 28-11-1987;

(xv) सा.का.नि. 658 तारीख 20-8-1988;

(xvi) सा.का.नि. 176 तारीख 10-8-1988;

(xvii) सा.का.नि. 228(अ), तारीख 21-3-2003;

(xviii) सा.का.नि. 751(अ) तारीख 28-12-2005 ।

[फा. सं. ए.-60011/6/2002-प्रशा. I(वि.का.)]

पी. के. मल्होत्रा, संयुक्त सचिव और सरकारी काउंसेल (प्रशा.)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2008

G.S.R. 358(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Legal Service Rules 1957, to de-merge the service cadre in the Department of Legal Affairs and to create three different cadres within that Service, namely:-

1 (1) These rules may be called the Indian Legal Service (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Legal Service Rules, 1957 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. Filling up duty posts.- (1) A duty post in Grade I or Grade II, barring the duty post of Grade II of the Service cadre of Legal Advisers and Grade II of the Service cadre of Government Advocates, shall be filled by promotion of a member of the Service in the next lower grade failing which by direct recruitment. The duty post of Grade II of the Service cadre of Legal Advisers (Additional Legal Adviser) shall be filled 90% by promotion failing which by deputation and 10% by direct recruitment. The duty post of Grade II of the Service cadre of Government Advocates (Additional Government Advocate) shall be filled 33.33% by promotion failing which by deputation and 66.67% by direct recruitment.

(2) A duty post in Grade III of the Service shall be filled alternatively by direct recruitment and by promotion of a member of the Service in Grade IV.

(3) A duty post in Grade IV of the Service, barring the duty post in Grade IV of the Service cadre of Legal Advisers, Grade IV of the Service cadre of Government Advocates and Grade IV of the Service cadre of Law Officers in the Law Commission of India, shall be filled by promotion of persons holding any post specified in the Third Schedule and by direct recruitment in the ratio of 1:1 (namely 50% by promotion and 50% by direct recruitment). A duty post in Grade IV of the Service cadre of Legal Advisers shall be filled by promotion of persons holding any post specified in the Third Schedule under the Service cadre of Legal Advisers and by direct recruitment in the ratio of 1:1 (namely 50% by promotion and 50% by direct recruitment). A duty post in Grade IV of the Service cadre of Government Advocates shall be filled by promotion of persons holding the post specified in the Third Schedule under the ILS cadre of Government Advocates and by direct recruitment in the ratio of 1:1 (namely 50% by promotion and 50% by direct recruitment). The officers holding the post in the Third Schedule under the Service cadre of Government Advocates will be eligible for promotion if they are eligible for enrollment as an advocate in the Supreme Court under the Supreme Court Rules, 1950 as amended from time to time and for registration as an Advocate-on-Record of that court under the said rules. A duty post in Grade IV of the Service cadre of Law Officers in the Law Commission of India shall be filled 20% by promotion of persons holding post specified in the Third Schedule under the Service cadre of Law Officers, 40% by deputation/absorption; and 40% by direct recruitment.

3. For rule 6A of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"6A. Filling of duty posts by deputation/absorption :-

The field of selection for deputation/absorption to the various grades shall be as under:

Additional Legal Adviser (Rs.14,300-18,300)

Deputation

Officers of the Central Government :

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs.12,000-16,500/- or equivalent in the parent cadre/department; and
(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under rule 7.

Additional Government Advocate (Rs.14,300-18,300)

Deputation

Officers of the Central Government;
(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs.12,000-16,500/- or equivalent in the parent cadre/department; and
(b) possessing the educational qualifications and experience for direct recruitment prescribed under rule 7 and is eligible for enrolment as an advocate in the Supreme Court under the Supreme Court Rules, 1950 as amended from time to time and for registration as an Advocate-on-Record of that court under the said rules.

Grade IV of the Service cadre of Law Officers of the Law Commission of India (Rs.10,000-15,200)

Deputation/absorption

Officers of the Central Government:

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs.8,000-13,500/- or equivalent in the parent cadre/department; or
(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the scale of pay of Rs.7,500-12,000 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under rule 7.

The period of deputation shall be three years, which may in special circumstances, be extended to five years as the Central Government may think fit".

4. In sub-rule (1A) of rule 7 of the principal rules, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) to a person (not being a member of a State Judicial Service or a legal practitioner) with experience in legal advice work if such post is in the Legal Adviser Service cadre in the Department of Legal Affairs, research work if such post is in the Law Officer Service cadre in the Department of Legal Affairs and experience of litigation work if such post is in the Government Advocate Service cadre of the Department of Legal Affairs. Further, in making appointment by direct recruitment to any duty post in the Government Advocate Service cadre in the Department of Legal Affairs, the candidate should be eligible for enrollment as an advocate in the Supreme Court under the Supreme Court Rules, 1950 as amended from time to time and for registration as an Advocate-on-Record of that court under the said rules".

5. In sub-rule (1) of rule 8 of the principal rules, for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iv) to a duty post in Grade IV, unless he has held one or more posts specified in the Third Schedule and possesses six years' regular service in posts carrying the pay of Rs.7500-12000, seven years' regular service in posts carrying the pay scale of Rs.7450-11500 and eight years' regular service in posts carrying the pay scale of Rs.6500-10500. Further, for promotion to a duty post in Grade IV in the Government Advocate Service cadre in the Department of Legal Affairs, the candidate should be eligible for enrolment as an advocate in the Supreme Court under the Supreme Court Rules, 1950 as amended from time to time and for registration as an Advocate-on-Record of that court under the said rules"

6. For rule 11 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"11. Seniority :- (1) A list of members of the service shall be maintained separately for Legislative Department and each of the three cadres in the Department of Legal Affairs as indicated in the 'First Schedule' to these rules, in the order of their seniority.

(2) The seniority of members of the service in each Department shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Central Government in that behalf, from time to time.

Note :-

The single post of Government Advocate in the scale of Rs.16400-20000 in Central Agency Section of the Department of Legal Affairs stands downgraded from the pay scale of Rs.16400-20000 to the pay scale of Rs.14300-18300 with effect from 1st December, 2007".

7. In the principal rules, for the 'First Schedule' and the 'Third Schedule', the following First and Second Schedule shall respectively be substituted, namely :-

1730GI/08-2

"FIRST SCHEDULE
(See rules 2(c), 3(2), 12 and 14)
THE INDIAN LEGAL SERVICE
(TOTAL STRENGTH : 146)
COMPOSITION

	Department of Legal Affairs								
	Indian Legal Service cadre of Legal Advisers in the Main Secretariat and Branch Secretariats at Mumbai, Kolkatta, Chennai and Bangalore			Indian Legal Service cadre of Law Officers in the Law Commission of India			Indian Legal Service cadre of Government Advocates in the Central Agency Section and the Branch Secretariats at Mumbai and Kolkatta		
Grade	Desig-nation	Perm-anent	Temp orary	Desig-nation	Perm, anent	Temp orary	Desig-nation	Perm-anent	Temp-orary
I	Joint Secretary and Legal Adviser	13	Nil	Joint Secretary and Law Officer	Nil	1	Senior Gover-nment Advocate	3	Nil
II	Additio-nal Legal Adviser	19	Nil	Additio-nal Law Officer	Nil	2	Additio-nal Gover-nment Advocate	8**	1
III	Deputy Legal Adviser	16	Nil	Deputy Law Officer	Nil	3	Deputy Gover-nment Advocate	3	Nil
IV	Assistant Legal Adviser	36	Nil	Assistant Law Officer	5	Nil	Assistant Gover-nment Advocate	4	Nil

The Central Government has, in exercise of the powers conferred by rule 14 of the principal rules vide its order number 81 dated 27th September, 2007 de-merged the cadre of Government Counsels in the Service in the Department of Legal Affairs and created three different cadres within that department consisting of the following cadres with duty posts as under:-

Legal Advisers Service cadre in the Main and Branch Secretariats:-

Name of the duty post	Grade	Scale of pay
Joint Secretary and Legal Adviser	Grade I	Rs.18,400-22,400/-
Additional Legal Adviser	Grade II	Rs.14,300-18,300/-
Deputy Legal Adviser	Grade III	Rs.12,000-16,500/-
Assistant Legal Adviser	Grade IV	Rs.10,000-15,200/-

Law Officer Service cadre in the Law Commission of India:-

Name of the duty post	Grade	Scale of pay
Joint Secretary and Law Officer	Grade I	Rs.18,400-22,400/-
Additional Law Officer	Grade II	Rs.14,300-18,300/-
Deputy Law Officer	Grade III	Rs.12,000-16,500/-
Assistant Law Officer	Grade IV	Rs.10,000-15,200/-

Government Advocate Service cadre in the Central Agency Section and Branch Secretariats in Mumbai and Kolkatta:-

Name of the duty post	Grade	Scale of pay
Senior Government Advocate	Grade I	Rs.18,400-22,400/-
Additional Government Advocate	Grade II	Rs.14,300-18,300/-
Deputy Government Advocate	Grade III	Rs.12,000-16,500/-
Assistant Government Advocate	Grade IV	Rs.10,000-15,200/-

Legislative Department			
Grade	Designation	Permanent	Temporary
I	Joint Secretary and Legislative Counsel	5	1
II	Additional Legislative Counsel	4	Nil
III	Deputy Legislative Counsel	9	Nil
IV	Assistant Legislative Counsel	13	Nil

Cadre Strength of Indian Legal Service in the Ministry of Law and Justice		
Grade	Permanent posts	Temporary posts
I	21	2
II	31	3
III	28	3
IV	58	Nil

** The single post of Government Advocate in the scale of Rs.16400-20000 in Central Agency Section of the Department of Legal Affairs stands downgraded from the pay scale of Rs.16400-20000 to the pay scale of Rs.14300-18300 with effect from 1st December, 2007

THIRD SCHEDULE

(See rule 6(3) and 8(1) (iv))

POSTS IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

Department of Legal Affairs

Feeder post to the Legal Adviser cadre of the Service	Feeder post to the Law Officer cadre of the Service	Feeder post to the Government Advocate cadre of the Service
1. Superintendent (Legal) 2. Librarian (Grade I)	Superintendent (Legal) in Law Commission of India	Junior Central Government Advocate

Legislative Department

Superintendent (Legal) and Confidential Superintendent in the Legislative Department".

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number SRO:3084-A (CLSR), dated 25.9.1957 and subsequently amended vide number :

(i) GSR 1608, dated 28.09.1963;
(ii) GSR 1416, dated 27.07.1968;
(iii) GSR 1423, dated 27.07.1968;
(iv) GSR 1050, dated 03.05.1969;
(v) GSR 1981, dated 23.08.1969;
(vi) GSR 1900, dated 21.11.1970;
(vii) GSR 2, dated 06.01.1979;
(viii) GSR 72, dated 20.01.1979;
(ix) GSR 658, dated 12.05.1979;
(x) GSR 270(E), dated 29.03.1982;
(xi) GSR 668, dated 17.09.1983;
(xii) GSR 1161(E), dated 22.10.1986;
(xiii) GSR 658, dated 29.06.1987;
(xiv) GSR 872, dated 28.11.1987;
(xv) GSR 658, dated 20.08.1988;
(xvi) GSR 176, dated 10.08.1988;
(xvii) GSR 228(E), dated 21.03.2003; and
(xviii) GSR 751(E), dated 28.12.2005.

[F. No. A-60011/6/2002-Admn.I (LA)]

P. K. MALHOTRA, Jt. Secy. & Government Counsel (Admn.)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.